न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/48/2020	21–09–2020	21–12–2020

01. गोकल पुत्र छीता जाति गुर्जर निवासी ग्राम माजरा ढाकोड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 —अपीलांट

बनाम

01. नायब तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर। —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बानसूर दिनांक 09.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 83/2020

उपस्थितः—

01—श्री अनिल गुप्ता —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलांट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.09.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम माजरा ढाकोड़ा की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 1.01 है0 में से 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट. ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम माजरा ढाकोड़ा की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 1.01 है0 में से 0.02 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.08. 2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 3 माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चातवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 09.09.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ–पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 17.09.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं किया जाना बताया है। पटवारी हल्का माजरा ढाकोड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है तथा नायब तहसीलदार बानसूर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलांट पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलांट के विरूद्ध एलआरएक्ट की धारा 91(6) के तहत कार्यवाही की जावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)